

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27 (213) ग्राविवि/गुप-5/PMAY-G/अभि./तक.अनु.स./2018-19 जयपुर, दिनांक 24/03/2024

--: बैठक सूचना :-

शासन सचिव, ग्रामीण विकास महोदय की अध्यक्षता में विभागीय तकनीकी अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 26.03.2021 को प्रातः 12:00-12:30 बजे ग्रामीण विकास विभाग के समिति कक्ष में आहुत की गई है, जिसमें अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद समस्त विडियों कॉन्फ्रेसिंग (NIC) के माध्यम से भाग लेंगे एवं मुख्यालय स्तर पर निम्न अधिकारियों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है :-


1. अति० निदेशक, ज.ग्र.वि. एवं भू-संरक्षण. विभाग।
2. अधीक्षण अभियन्ता (प्रो०), पंचायती राज।
3. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास।
4. अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस), महात्मा गाँधी नरगा।
5. श्री भास्कर त्रिपाठी परियोजना निदेशक, (एस.ए.पी.) ग्रा.वि.।
6. परियोजना अधिकारी (अभि) ग्राविवि।
7. श्री पराग चौधरी - मैनेजर (STMU) स्वच्छ भारत अभियान, पंचायती राज विभाग।
8. अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद समस्त (VC के माध्यम से)।
9. उपवन संरक्षक, वन विभाग मुख्यालय, जयपुर।

उक्त के अतिरिक्त विशेषज्ञ के रूप में निम्न अधिकारीगणों की विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है :-

1. अधीक्षण अभियंता (मैकेनिकल), ग्रेटर नगर निगम, जयपुर।
2. अधीक्षण अभियंता (मैकेनिकल), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।

बैठक में चर्चा के मुख्य एजेण्डा बिन्दु:-


1. स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत गांवों को ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन ईकाई एवं ब्लॉक स्तरीय प्लास्टिक कचरा प्रबंधन ईकाई हेतु आवश्यक सामग्री एवं मशीन क्रय करने हेतु प्रस्तुत निम्न प्रस्तावानुसार सामग्री के तकनीकी मापदण्ड निर्धारण पर चर्चा-
  - i Plastic Shredding machine (with blade grinding machine and accessories)
  - ii Plastic Balling machine (hydraulic)
  - iii Dust remover machine
  - iv Electric Garbage Rickshaw Dumper
  - v Sanitary Napkin Incinerator Machine
2. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत नई बैटरी के साथ सोलर लाईट के स्पेसिफिकेशन पर चर्चा।
3. विभागीय योजनाओं में इको-फ्रैन्डली मेटेरियल के उपयोग पर चर्चा।
4. अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय के अनुमति से।

  
(कै. के. शर्मा)  
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)



**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

- 1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रावि एवं परावि।
- 2 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
- 3 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
- 4 निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास।
- 5 निजी सचिव, निदेशक, स्वच्छ भारत अभियान, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- 6 जिला कलेक्टर, समस्त।
- 7 निजी सचिव, आयुक्त, ग्रेटर नगर निगम, जयपुर।
- 8 निजी सचिव, मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, मुख्यालय जयपुर।
- 9 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
- 10 संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.), ग्रामीण विकास।
- 11 अति० निदेशक, ज.ग्र.वि. एवं भू-संरक्षण विभाग।
- 12 अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास।
- 13 अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस), महात्मा गाँधी नरेगा।
- 14 अधीक्षण अभियन्ता (प्रो०), पंचायती राज।
- 15 अधीक्षण अभियंता (मैकेनिकल), ग्रेटर नगर निगम, जयपुर।
- 16 अधीक्षण अभियंता (मैकेनिकल), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
- 17 उपवन संरक्षक, वन विभाग मुख्यालय, जयपुर।
- 18 परियोजना निदेशक (एसएपी) ग्राविवि को भेजकर लेख है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत नई बैटरी के साथ सोलर लाईट के स्पेसिफिकेशन के प्रस्तावानुसार सक्षिप्त नोट एवं प्रस्तुतीकरण बैठक से पूर्व सभी सदस्य गणों को उपलब्ध कराते हुये साथ भाग लें।।
- 19 श्री पराग चौधरी- अधिशाषी अभियंता, स्वच्छ भारत मिशन, पंचायती राज विभाग को भेजकर लेख है कि स्वच्छ भारत मिशन हेतु आवश्यक सामग्री एवं मशीन क्रय करने के क्रम में प्रस्तावानुसार सक्षिप्त नोट एवं प्रस्तुतीकरण बैठक से पूर्व सभी सदस्य गणों को उपलब्ध कराते हुये साथ भाग लें।।
- 20 अधिशाषी अभियंता (अभि) जिला परिषद, समस्त।
- 21 इन्चार्ज, एनआईसी, मुख्य भवन शासन सचिवालय जयपुर को vc की व्यवस्था बाबत।
- 22 रक्षित पत्रावली।

  
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)